

उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत कृषकों को औद्योगिक टूल्स, औजारों, मशीनों (Tools, Implements and Machines) से लाभान्वित करने हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेता को सूचीबद्ध/पंजीकरण (Empanelment) करने के लिए आमन्त्रित रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) में संशोधन

कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के पत्रांक 1975/टूल्स/मशीन पंजीकरण/2024-25 दिनांक 12.12.2024 द्वारा उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत कृषकों को औद्योगिक टूल्स, औजारों, मशीनों (Tools, Implements and Machines) से लाभान्वित करने हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेता को सूचीबद्ध/पंजीकरण (Empanelment) करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) आमन्त्रित की गयी है, जिसके Annexure-3 पंजीकरण (Empanelment) हेतु तकनीकी बिड के क्रम संख्या-2 पर अंकित विवरण में टंकण त्रुटि को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	पूर्व में टंकण त्रुटिवश विवरण	संशोधन उपरान्त विवरण
2.	प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण:- ड्राफ्ट संख्या.....तिथि..... धनराशि रू0 2360.00 ..... बैंक ड्राफ्ट रानीखेत अल्मोड़ा में देय हो.....	प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण:- ड्राफ्ट संख्या.....तिथि..... धनराशि रू0 2360.00 ..... बैंक ड्राफ्ट निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो .....

निदेशक, बागवानी मिशन,  
उत्तराखण्ड

उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत कृषकों को औद्योगिक टूल्स, औजारों, मशीनों (Tools, Implements and Machines) से लाभान्वित करने हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेता को सूचीबद्ध/पंजीकरण (Empanelment) करने के लिए आमन्त्रित रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) में संशोधन

कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के पत्रांक 1975/टूल्स/मशीन पंजीकरण/2024-25 दिनांक 12.12.2024 द्वारा उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत कृषकों को औद्योगिक टूल्स, औजारों, मशीनों (Tools, Implements and Machines) से लाभान्वित करने हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेता को सूचीबद्ध/पंजीकरण (Empanelment) करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) आमन्त्रित की गयी है, जिसके पृष्ठ संख्या 03 के क्रम संख्या 24 पर बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद अंकित विवरण में टंकण त्रुटि को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	पूर्व में टंकण त्रुटिवश विवरण	संशोधन उपरान्त विवरण
24	<p>1. पंजीकरण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम बन्धक हो तथा दिनांक 31.03.2026 तक वैध हो निम्न विवरणानुसार जमा करनी होगी:-</p> <p>i) Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 8.65 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।</p> <p>ii) Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे- प्रुनिंग टूल्स/नर्सरी टूल्स) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 11.25 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।</p> <p>iii) Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) एवं Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे- प्रुनिंग टूल्स/नर्सरी टूल्स) दोनों के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 19.90 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जमा करनी होगी।</p>	<p>1. पंजीकरण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम बन्धक हो तथा दिनांक 31.03.2027 तक वैध हो निम्न विवरणानुसार जमा करनी होगी:-</p> <p>i) Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 8.65 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।</p> <p>ii) Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे- प्रुनिंग टूल्स/नर्सरी टूल्स) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 11.25 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।</p> <p>iii) Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) एवं Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे- प्रुनिंग टूल्स/नर्सरी टूल्स) दोनों के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 19.90 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जमा करनी होगी।</p>

निदेशक, बागवानी मिशन,  
उत्तराखण्ड